RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : मंगलवार 08 अक्टूबर 2024 वर्ष 06 अंक 170 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

एआईएमआईएम अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी - वारिस पठान

Page - 4

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

डीजीपी रश्मि शुक्ला के सेवा विस्तार की हो समीक्षा

महाराष्ट्र कांग्रेस की चुनाव आयोग से मांग

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग से एक बार फिर डीजीपी रश्मि शुक्ला के सेवा विस्तार की समीक्षा करने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि उनकी नियुक्ति राजनीति से प्रेरित है और इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने लगातार दूसरी बार इस मांग को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पटोले ने कहा कि डीजीपी शुक्ला को दिया गया दो साल का सेवा विस्तार महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम का उल्लंघन है।

कांग्रेस ने कहा कि शुक्ला को जनवरी 2024 में डीजीपी नियुक्त किया गया था। कांग्रेस के अनुसार शुक्ला 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त होने वाली थीं। इसके बाद उनको जनवरी 2026 तक सेवा विस्तार दे दिया गया।

पटोले ने कहा कि डीजीपी रश्मि शुक्ला को संभावित विधानसभा चुनावों के इतने करीब समय में दिया गया सेवा विस्तार संदेह पैदा करता है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है, जो संभावित रूप से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। पटोले ने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने और शुक्ला की नियुक्ति और विस्तार की समीक्षा करने का आग्रह किया। पटोले ने कहा कि सेवा विस्तार की समीक्षा न केवल महाराष्ट्र के पुलिस बल की अखंडता के लिए बल्कि पूरे भारत में पुलिस प्रशासन के भविष्य के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्ला को दिया गया सेवा विस्तार सरकारी कार्यों की निष्पक्षता को कम करता है।

नाना पटोले कहा कि रश्मि शुक्ला के कार्यकाल को उनकी मूल सेवानिवृत्ति तिथि से आगे बढ़ाना महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है, जो डीजीपी के लिए दो साल के कार्यकाल को अनिवार्य करता है। बशर्ते कि इस अवधि के दौरान उनकी सेवानिवृत्ति न हो। उनका कार्यकाल बढ़ाकर सरकार ने नियम का उल्लंघन किया है। इससे कानून के पालन के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह फैसले का हवाला देकर सेवा विस्तार को सही ठहराने की राज्य सरकार की दलील भ्रामक है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस खतरनाक कदम का पूरे भारत में असर हो सकता है क्योंकि यह यूपीएससी के स्थापित मानदंडों को दरकिनार कर रहा है।

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख ने यह भी कहा कि रश्मि शुक्ला के कार्यकाल को बढ़ाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। साफ लगता है कि निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है। इसमें कानूनी मानकों और सार्वजनिक जवाबदेही पर विचार नहीं किया गया।

13 अक्टूबर को राज ठाकरे की MNS की अहम बैठक

विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बड़ा फैसला ?

मुंबई : महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. सभी पार्टियां अपने-अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में लगी है. मनसे प्रमुख राज ठाकरे 13 अक्टूबर को गोरेगांव नेस्को ग्राउंड में पार्टी के समूह अध्यक्षों को संबोधित करने के लिए सभा करेंगे. विधान सभा चुनाव को लेकर यह बड़ी और प्रमुख सभा होगी.

महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इन दिनों राज ठाकरे विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं. पुणे में कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए इन जिलों की प्रत्येक विधानसभा की विस्तृत समीक्षा की गई. महाराष्ट्र

नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अगस्त महीने में ऐलान किया था कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 200 से 225 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. नागपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने ये भी कहा था कि हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और हमें भरोसा है कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

लोकसभा चुनाव में NDA को दिया था बिना शर्त समर्थन

बता दें कि लोकसभा चुनाव में बिना शर्त एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया था. MNS प्रमुख ने यह भी कहा था कि उन्होंने देश और इसके युवाओं के भविष्य के लिए पीएम मोदी के दृढ़ नेतृत्व को अपना पूरा समर्थन दिया. साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में अपने विकल्प खुले रखने के भी संकेत दिए थे. उन्होंने यहां छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए एकजुट हो जाने की अपी की थी.

राज ठाकरे 13 अक्टूबर को गोरेगांव नेस्को ग्राउंड में पार्टी के समूह अध्यक्षों को संबोधित करेंगे तो उनकी पार्टी के NDA के साथ जाने की अटकलों को लेकर भी तस्वीर साफ हो सकती है.

माहिम इलाके में स्थित मोइन हाइट्स बिल्डिंग में भीषण आग

मुंबई : मुंबई के माहिम इलाके में स्थित बहुमंजिला आवासीय इमारत में सोमवार सुबह आग लग गई। आग सुबह 07.54 बजे लगी और 11 मंजिला मोइन हाइट्स बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर स्थित एक घर के बेडरूम में बिजली की वायरिंग, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, एसी यूनिट और घरेलू सामान तक ही सीमित थी। फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और सुबह 8.10 बजे तक आग बुझा दी गई, अग्निशमन अधिकारियों ने कहा कि कोई हताहत नहीं हुआ और कोई घायल नहीं हुआ।

महाराष्ट्र : पालघर में पुलिस कांस्टेबल ने की आत्महत्या

पालघर : महाराष्ट्र के पालघर जिले में 26 वर्षीय एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने घर पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना वसई इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल के यह कदम उठाने के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

संपादकीय...

बार-बार पैरोल...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिर जेल से बाहर आया है। हरियाणा चुनाव के मतदान से ऐन पहले उसे 20 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया है। चार साल में 15वीं बार उसे पैरोल पर जेल से बाहर आने का मौका मिला है। न कोई आपातस्थिति है, न कोई आकस्मिकता है और न ही कोई मरणासन्न है, लेकिन किसी 'फैमिली मैटर' के आधार पर पैरोल दी गई है। वह पारिवारिक मामला क्या है? क्या बाबाओं का भी पारिवारिक मामला होता है? बेशक छद्म ही सही, राम रहीम लाखों श्रद्धालुओं के लिए पूज्य है, आस्था का पात्र है, लेकिन वह नाबालिग साध्वियों के साथ बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या सरीखे जघन्य अपराधों में सजायाफ्ता है। उसे एक मामले में 20 लंबे साल और अन्य मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बेशक पैरोल एक सजायाफ्ता कैदी का स्थितिजन्य अधिकार है और फरलो को जेल के दस्तावेजों और नियमों में 'इनाम' करार दिया गया है। जब भी पुलिस और जेल सुधारों का उल्लेख होता है, तो उनमें कैदी को ज्यादा से ज्यादा जेल के बाहर रखना 'सुधारात्मक' माना गया है। उससे कैदी के व्यवहार और मानसिकता में सुधार होगा और वह ज्यादा सामाजिक होगा। उन सुधारों में ही 'फरलो' को एक इनाम माना गया है, जो जेल प्रशासन एक कैदी को दे सकता है। हालांकि अलग-अलग राज्य में फरलो की अवधि तय है। फरलो का ही विकल्प पैरोल है। बहरहाल यह संयोग है या कोई प्रयोग है कि राम रहीम को लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका या पंचायत चुनावों के दौरान ही पैरोल या फरलो दी जाती रही है। बेशक वह एक प्रभावशाली शख्स है और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पश्चिमी उप्र और राजस्थान आदि राज्यों में डेरे के असंख्य भक्त और अनुगामी हैं, लिहाजा डेरा प्रमुख के किसी आ''न या अपील का असर भक्तों पर व्यापक तौर से होता है। हालांकि चुनाव इस अनुपात में प्रभावित नहीं होते, लेकिन राजनीतिक दलों का फायदा जरूर होता है। अब राम रहीम को पैरोल पर छोड़ा गया है, तो एक अनिवार्य शर्त यह है कि वह चुनावी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा।

वह किसी भी दल या उम्मीदवार विशेष के पक्ष में कोई अपील जारी नहीं करेगा। क्या इन शर्तों पर कानून की कोई पहरेदारी मौजूद है? राम रहीम उप्र के बागपत के बरनावा स्थित आश्रम में मौजूद है। उसके जेल के बाहर आते ही डेरे की सूचना कमेटियों ने हरियाणा की संगत को 3 अक्तूबर को ब्लॉक स्तरीय 'नामचर्चा' करने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि इसमें डेरे की तरफ से किसी दल को समर्थन देने के संकेत दिए जा सकते हैं।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 99877 75650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

महाराष्ट्र में हमें नजरअंदाज किया जा रहा है - रामदास आठवले

मुंबई : लोकसभा चुनाव में महायुति के लिए 17 सीटें जीतने में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रमुख भूमिका निभाई है। फिर भी महाराष्ट्र में हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारी मांग है कि महायुति विधानसभा चुनाव में 'आरपीआई' को 8 से 10 सीटें दे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को अपने कोटे से तीन-तीन सीटें देनी चाहिए। केंद्रीय समाज कल्याण राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के अध्यक्ष रामदास आठवले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी राय रखी।

8 से 10 सीटें देने की मांग

आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने छत्रपति संभाजीनगर की यात्रा के दौरान बुद्ध गुफा का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने सुभेदार रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। विधानसभा चुनाव में महायुति के घटक दल आरपीआई को फुलंबरी, छत्रपति संभाजीनगर मध्य, डेगलौर, केज, बदनापुर और कलांब निर्वाचन क्षेत्रों में 8 से 10 सीटें देने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि महायुति 160 से 170 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी।

पार्टी कार्यालय का उद्घाटन

इस बीच आठवले ने निराला बाजार इलाके में 'आरपीआई' शहर अध्यक्ष नागराज गायकवाड़ के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बाबूराव कदम, मराठवाड़ा अध्यक्ष मिलिंद शेल्के, प्रदेश उपाध्यक्ष दौलत खरात आदि मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 2019 और 2014 में अपने दम पर 66 चुनाव लड़ने के बावजूद वंचित बहुजन अघाड़ी की स्थापना नहीं हो सकी। प्रकाश आंबेडकर ने यह प्रयोग कई बार किया है। अपने दम पर सफलता हासिल करना संभव नहीं है। मैं एकात्मक रुख में हूं। लेकिन अगर अन्य लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो एकता पर चर्चा होती रहेगी।

बुद्ध गुफा के दर्शन कियाडॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के परिसर में 12 धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुबह बुद्ध गुफा क्षेत्र में विहार का दौरा किया। संबंधित इमारत मराठवाड़ा के लोगों के लिए पूजा स्थल है। अठावले ने बताया कि कलेक्टर ने कहा कि इस बिल्डिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यह जगह वन विभाग की है और मुख्यमंत्री इस संबंध में आदेश जारी करने वाले हैं।

एग्जिट पोल के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी

मुंबई: एग्जिट पोल के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। इससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर भी असर पड़ने की संभावना है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सटीक साबित होते हैं, तो हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के नतीजे महायुति गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की बातचीत को प्रभावित कर सकते हैं। आगामी चुनाव में महा विकास अघाड़ी गठबंधन जिसमें उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना, एनसीपी (शरद पवार गुट) और कांग्रेस का मुकाबला महायुति गठबंधन से होगा। महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और एनसीपी (अजीत पवार गुट) शामिल हैं। 2019 में, बीजेपी ने महाराष्ट्र की 164 विधानसभा सीटों में से 105 पर जीत हासिल की थी और अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी। हालांकि, 2024 के आम चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा और वह राज्य में लड़ी गई 28 लोकसभा सीटों में से केवल नौ पर ही जीत हासिल कर सकी।

मीडियो रिपोर्टस के मुताबिक, बीजेपी 288 सीटों में से 160 पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि शिवसेना 100-105 सीटों पर दावा कर रही है, और ठउढ को 60-80 सीटों की उम्मीद है। ऐसी अटकलें हैं कि शिवसेना 80-90 सीटों पर समझौता कर सकती है और एनसीपी को 50-60 सीटें मिल सकती हैं। इस बीच, एमवीए ने अभी तक अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। हालांकि दशहरा तक ऐसा होने की उम्मीद है। दोनों गठबंधनों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी खींचतान चल रही है।

पुलिस भर्ती में आदिवासी उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई में छूट दी

ठाणे : महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस भर्ती के दौरान आदिवासी उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई में छूट देते हुए एक अधिसूचना जारी की है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। ठाणे पुलिस के अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को जारी अधिसूचना में गृह विभाग ने आदिवासी उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई की अनिवार्यता में संशोधन करते हुए इसमें पांच सेंटीमीटर की छूट दी है। वर्तमान में पुलिस भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेमी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेमी है। उन्होंने कहा कि यह कदम उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और राज्य स्तरीय अनुसूचित क्षेत्र समीक्षा समिति के अध्यक्ष विवेक पंडित के बीच जनवरी में हुई बैठक के बाद उठाया गया है, जिसमें राज्य में आदिवासियों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

पिंक ई-रिक्शा योजना... सीएम एकनाथ शिंदे ने किया शुभारंभ

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है। रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छत्रपति संभाजीनगर में इस योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र में पात्र महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजन से राज्य भर के 17 शहरों की करीब 10,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पूर्व योजना शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है।

नवरात्र चल रहे हैं। मैंने लाडली बहन योजना शुरू की। 2.5 करोड़ मेरी लाडली बहनों को इसका फायदा मिला है। आज पिंक रिक्शा योजना भी यहां पर शुरू हुई है। आज हमारी कई बहनों को पिंक रिक्शा दी गई है।

''अस्पताल में घायल गोविंदा से सीएम एकनाथ शिंदे ने की बात, फोन कर जाना हेल्थ अपडेट, डॉक्टर्स को दिए खास निर्देश'' क्या है पिंक ई-रिक्शा योजना इससे पहले, सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की थी, जिसमें 20 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया गया था। पिंक ई-रिक्शा योजना की शुरूआत इसी प्रतिबद्धता पर आधारित है, जिसमें ई-रिक्शा खरीदने के लिए 80,000 रुपये तक की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

आग दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा

मुंबईः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चेंबूर की एक दुकान में लगी आग दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की । मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी पुष्टि की कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। आज आग की त्रासदी में एक परिवार के दो बच्चों सहित कम से कम सात लोगों की मौत हो गई । बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अनुसार, ''आज सुबह 5 बजे के आसपास चेंबूर की एक दुकान में आग लगने से 3 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई।''

प्लॉट नंबर 16/1, सिद्धार्थ कॉलोनी, केएन गायकवाड़ मार्ग, चेंबूर (ई) में सुबह 5:20 बजे एक बहुमंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई, जिसमें गुप्ता परिवार के सात सदस्यों की जान चली गई । आग ग्राउंड फ्लोर पर दुकान के पास लगे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सभी सात सदस्य एक ही परिवार के थे और उनकी पहचान प्रेसी प्रेम गुप्ता (6), मंजू प्रेम गुप्ता (30), अनीता धर्मदेव गुप्ता (39), प्रेम छेदीराम गुप्ता (30), नरेंद्र गुप्ता (10), विधि छेदीराम गुप्ता (15) और गीतादेवी धर्मदेव गुप्ता (60) के रूप में हुई है। डीसीपी जोन 6 हेमराज सिंह राजपूत के अनुसार परिवार जी+2 बिल्डिंग की अन्य दो मंजिलों पर रहता था, जबकि दुकान ग्राउंड फ्लोर पर थी। राजपूत ने कहा, ''हमें सुबह 6 बजे के आसपास एक कॉल मिली जिसमें बताया गया कि जी+2 बिल्डिंग में एक घर था, ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान थी और बाकी दो मंजिलों पर परिवार रहते थे। 7 लोगों की मौत हो गई और दुकान में सो रहे 2 लोग बच गए।''

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठेका श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश...

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) [नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए] के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें संस्थान को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत तीन ठेका श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।नियंत्रण प्राधिकरण ने जनवरी 2022 में फैसला सुनाया था कि आईआईटी बॉम्बे तानाजी लाड को 1.89 लाख रुपये, दादाराव इंगले को 2.35 लाख रुपये और दिवंगत रमन गरासे को 4.28 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, साथ ही उनकी संबंधित सेवानिवृत्ति तिथियों से 10% वार्षिक ब्याज भी देना था।

आईआईटी ने तर्क दिया कि श्रमिक मेसर्स मूसा सर्विसेज कंपनी सहित विभिन्न ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति किए गए ठेका मजदूर थे, और संस्थान और प्रतिवादियों के बीच कोई सीधा

नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं था। हालांकि, नियंत्रक एवं अपीलीय प्राधिकारियों ने इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि 1999 से अलग-अलग ठेकेदारों के अधीन होने के बावजूद, ये कर्मचारी लगातार आईआईटी बॉम्बे में कार्यरत थे।

श्रमिकों के अधिवक्ता गायत्री सिंह और सुधा भारद्वाज ने कहा कि तीनों 1999 से कई अलग-अलग ठेकेदारों के माध्यम से संस्थान के साथ काम कर रहे थे।न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने सवाल किया कि आईआईटी बॉम्बे ने अपने अनुबंधों में ग्रेच्युटी भुगतान को स्पष्ट रूप से क्यों शामिल नहीं किया, जबकि इसने ईएसआईसी और पीएफ जैसे अन्य अंशदानों को अनिवार्य कर दिया था। न्यायाधीश ने यह भी बताया कि अनुबंध की अवधि को 89 दिनों तक सीमित करने के बावजूद भी कर्मचारी कार्यरत रहे। न्यायालय ने नियंत्रक एवं अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों में कोई त्रुटि नहीं पाई। तीनों कर्मचारियों में से दो को पहले ही मूल ग्रेच्युटी राशि मिल चुकी है, केवल ब्याज बकाया है। मृतक कर्मचारी रमन गरासे के कानूनी उत्तराधिकारी ग्रेच्युटी के हकदार हैं, जिसे न्यायालय में जमा कर दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे को दो महीने के भीतर कर्मचारियों और उनके उत्तराधिकारियों को शेष ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। गरासे ने संस्थान में 39 वर्षों से अधिक समय तक माली के रूप में काम किया था, तथा ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर संस्थान के साथ कई वर्षों तक कानूनी लड़ाई चलने के बाद, 1 मई को कथित रूप से आत्महत्या कर ली।

स्नातक (यूजी) छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला

मुंबईः मुंबई के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों ने स्नातक (यूजी) छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि सरकार ने उन्हें लंबित छात्रवृत्ति बकाया राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया है। राज्य चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के प्रबंधन संघ द्वारा यह निर्णय मंत्रालय द्वारा संघ को भेजे गए एक पत्र के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि उसने मामले का संज्ञान लिया है और उन्हें लंबित प्रतिपूर्ति के वितरण का आश्वासन दिया है। हालांकि संघ ने प्रवेश फिर से शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन उसने सरकार को स्नातकोत्तर (पीजी) प्रवेश शुरू होने तक एक ठोस समाधान के साथ आने की समय सीमा दी। एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, मंत्रालय इस महीने के अंत में छात्रवृत्ति राशि के वितरण के लिए जिम्मेदार सभी विभागों के साथ एक बैठक आयोजित करने वाला है, ताकि निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जा सके। इससे पहले 4 अक्टूबर को राज्य के चिकित्सा शिक्षा सचिव को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने घोषणा की थी कि 1 अक्टूबर को दूसरी मेरिट सूची जारी होने के बाद निजी मेडिकल कॉलेजों ने एमबीबीएस और बीडीएस (डेंटल) पाठ्यक्रमों में प्रवेश रोक दिया है। हालांकि, शनिवार को जारी एक नए पत्र में एसोसिएशन ने कहा कि कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू करेंगे और इसे समय पर पूरा किया जाएगा।

मेडिकल कार्यकर्ता बृजेश सुतारिया ने कहा, ''यह प्रस्ताव अस्थायी राहत देता है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य के लिए प्रतिपूर्ति तुरंत और समय पर की जाए क्योंकि कई छात्रों का शैक्षणिक भविष्य सरकार और निजी कॉलेजों के बीच सुचारू समन्वय पर टिका है।'' उन्होंने कहा, ''आगे चलकर प्रवेश में देरी से बचना चाहिए, खासकर नीट यूजी और पीजी की समयसीमा के साथ। नीट पीजी की प्रवेश प्रक्रिया, जो शुरू होने वाली है, सुचारू रूप से चलनी चाहिए।''

मुंबईः चुनाव आयोग के आदेश 111 इंस्पेक्टरों का मुंबई से तबादला...

मुंबईः पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने आखिरकार भारतीय चुनाव आयोग के आदेश को स्वीकार करते हुए 111 इंस्पेक्टरों का मुंबई से तबादला कर दिया है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 जुलाई को चुनाव आयोग ने सरकार और पुलिस को निर्देश दिया था कि वे उन सभी अधिकारियों का तबादला करें जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं और जो तीन या उससे अधिक वर्षों से एक ही स्थान पर हैं। नियमों के अनुसार, चुनाव से पहले, एक क्षेत्र में तीन साल से अधिक सेवा देने वाले अधिकारियों को वहां से हटाना पड़ता है। महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर 111 इंस्पेक्टरों का शहर से बाहर तबादला करने का निर्देश दिया। तबादलों में विवादास्पद सांताक्रूज इंस्पेक्टर राजेंद्र काणे और

क्राइम इंस्पेक्टर अमर पाटिल भी शामिल हैं। काणे को रत्नागिरी और पाटिल को नागपुर भेजा गया है।

शुरूआत में, महाराष्ट्र पुलिस ने चुनाव आयोग के आदेश का पालन नहीं किया। हालांकि, चुनाव आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजकर गैर-अनुपालन के लिए स्पष्टीकरण मांगा और औपचारिक रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव और डीजीपी को 20 अगस्त तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। इसके बाद, ईसीआई ने लंबित रिपोर्ट के बारे में तीन रिमाइंडर भेजे। महाराष्ट्र पुलिस ने ईसीआई को सूचित किया कि मुंबई के अलावा, राज्य के अन्य क्षेत्रों ने स्थानांतरण आदेशों का अनुपालन किया है। इसके बाद, मुंबई पुलिस ने ईसीआई से इन अधिकारियों के लिए छूट की मांग करते हुए फिर से अनुरोध किया। आखिरकार, विधानसभा चुनाव के करीब आने पर, डीजीपी ने 111 निरीक्षकों को शहर से बाहर स्थानांतरित कर दिया और 11 नए निरीक्षकों को मुंबई में नियुक्त किया। एक जूनियर अधिकारी द्वारा पुलिस उपायुक्त के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद केन और पाटिल को विभागीय जांच का सामना करना पड़ा था। जूनियर अधिकारी ने केन पर जबरन वसूली के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने से रोकने का आरोप लगाया। फ्री प्रेस जर्नल ने सबसे पहले मामले की रिपोर्ट की, जिसमें एक कार्यकर्ता और जूनियर अधिकारी दोनों द्वारा लगाए गए आरोपों को उजागर किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता आफताब सिद्दीकी ने एक्स पर पोस्ट कियाः ''भारत के चुनाव आयोग ने 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले मुंबई पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के जवाब को खारिज कर दिया। 4 अक्टूबर को मुझे महाराष्ट्र चुनाव आयोग कार्यालय से जवाब मिला, जिसमें पुष्टि की गई कि अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है।

शिक्षक के खिलाफ छात्र को उसकी शर्ट अंदर न करने पर पीटने और घायल करने का मामला दर्ज

पुणे : शहर की पुलिस ने निजी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ कक्षा 6 के एक छात्र को उसकी शर्ट अंदर न करने पर कथित रूप से पीटने और घायल करने का मामला दर्ज किया है।आरोपी की पहचान संदेश भोसले (26) के रूप में हुई है और यह घटना 27 सितंबर को स्कूल में कंप्यूटर क्लास के दौरान हुई। अधिकारी ने बताया कि नाबालिग के पिता की शिकायत के आधार पर, स्वर्गेट पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और किशोर न्याय अधिनियम 2015 (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार,

मारपीट के कारण छात्र के कान में चोट आई है।इस बीच, छात्रों के माता-पिता महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी (मनसे) के नेता गणेश बोकारे और उनके समर्थकों के साथ शनिवार को स्कूल पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कुछ लोगों ने स्कूल की संपत्ति में तोड़फोड़ की।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : मंगलवार 08 अक्टूबर 2024

नालासोपारा में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म...

वसई : नालासोपारा में रहने वाली 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील तस्वीरों के आधार पर उससे 25 हजार रुपए की फिरौती वसूलने का मामला सामने आया है। इस मामले में तुलिंज पुलिस ने एक युवती समेत दो लोगों के खिलाफ पोक्सो और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता 13 साल की है और नालासोपारा ईस्ट में रहती है। उसका परिचय सीमा मौरया (26) से हुआ था। 2023 में सीमा ने पीड़िता को सोनू साहनी (24) से मिलवाया। आरोपी सोनू साहनी ने पीड़िता की अज्ञानता का फायदा उठाया और उसे कलंब, राजोडी के विभिन्न लॉज में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान सोनू ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें खींच लीं और उन्हें आरोपी सिमा मौरया को भेज दिया। सीमा ने इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी और उससे 25500 रुपए वसूले । लेकिन पैसों की मांग बढ़ती जा रही थी और आरोपी सोनू भी उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। यह बर्दाश्त न कर पाने पर उसने यह बात अपने परिजनों को बताई। तुलिंज पुलिस को शिकायत मिलने पर सोनू साहनी और सिमा मोरया दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

नालासोपारा डर के साये में जीने को मजबूर 3000 परिवार

डेट लाइन हुई पूरी, कभी भी टूट सकती हैं अग्रवाल नगरी की 41 बिल्डिंग...

नालासोपारा : नालासोपारा के अग्रवाल नगरी स्थित डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित जमीन बनी विवादित 41 अवैध इमारतों में रहने वाले लगभग तीन हजार परिवारों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाईकोर्ट के इमारतें तोड़ने के आदेश के बाद यहां के रहिवासी घर बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं दिख रही है। महानगर पालिका आयुक्त अनिल कुमार पवार ने 30 सितंबर तक कार्रवाई पर रोक लगाई थी। अब फिर से मनपा ने उन्हें जल्द

से जल्द घर खाली करने का नोटिस जारी किया है। फिलहाल, किराए पर रहने वाले लोग घरों को खाली कर पलायन करने लगे हैं। हालांकि, जो खुद के घर में रह रहे हैं, वे डरे हुए हैं। अगर वे घर खाली करते हैं, तो उनकी जिंदगीभर की कमाई से खरीदा आशियाना आखों के सामने टूट जाएगा। इधर, मनपा का कहना है कि 2 दिन के अंदर बिजली विभाग को पत्र देकर इमारतों की बिजली पानी आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। डंपिंग ग्राउंड के लिए थी जमीन नालासोपारा (पूर्व) अग्रवाल, वसंत नगरी स्थित सर्वे 22 से 30 तक काफी बड़ा भूखंड था। इसे वसई विरार मनपा ने डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित किया था। आस-पास बस्ती बसने के बाद यहां से डंपिंग रिजर्वेशन हटाकर एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस भूखंड से सटकर कुछ जमीन अजय शर्मा के नाम पर थी। ऐसे बिकती गई जमीन और हुए कब्जे 2006 से पहले इस जमीन पर बहुजन विकास आघाडी के पूर्व नगरसेवक सीताराम गुप्ता और उनके भतीजे अरुण गुप्ता ने अवैध इमारतें बनानी शुरू कीं। 2010-12 तक यहां चार-चार मंजिला 41 इमारतें खड़ी हो गईं। सीताराम ने सभी इमारतों के फ्लैट बेच दिए। आरोप है कि इन अवैध इमारतों को बनाने में तत्कालीन सिडको और मनपा के अधिकारियों का पूरा संरक्षण मिला।

भिवंडी में 1 हजार किलो गोमांस जब्त!

भिवंडी : नवरात्रि के पावन दिनों में बजरंग दल के कार्यकताओं ने रविवार सुबह भिवंडी के निजामपुरा इलाके में एक हजार किलो गोमांस जब्त कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। घटना 6 अक्टूबर की सुबह करीब 8:25 बजे की है, जब बजरंग दल कल्याण विभाग के संयोजक दादा गोसावी, भिवंडी जिला सह-संयोजक सूरज केसरवाणी और उनके साथियों ने एक कार का पीछा करते हुए निजामपुरा इलाके में पहुंचे और इसकी सूचना स्थानीय निजामपुरा पुलिस को दी। पुलिस ने उस दुकान पर छापामार गौवंश के मांस बरामद किया है। इस कार्रवाई के दौरान मौके से नौ गोवंश के कटे हुए सिर और एक टन गोमांस बरामद किया गया। इस धक्कादायक घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। बजरंग दल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि जब महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गाय को 'राज्य माता' का दर्जा दिया है, तो राज्य में गोवंश की हत्या किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एआईएमआईएम अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी - वारिस पठान

मुंबई : महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने-अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी है. प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी विधानसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ने का दावा करती नजर आ रही है. पार्टी के नेता वारिस पठान ने एक बार महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. उन्होंने ये भी कहा कि MVA से इस बारे में बातचीत चल रही है. महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, ''महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. एक दो महीने में चुनाव हो जाएंगे. हम भी लड़ेंगे और एआईएमआईएम अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी.''

हमारा भी मकसद बीजेपी को हराना है- वारिस पठान

पीटीआई के मुताबिक एआईएमआईएम

नेता ने कहा, ''हमारा भी मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना है. हमारे नेता इम्तियाज जलील ने महा विकास अघाड़ी के साथ बातचीत की है. उन्होंने कहा कि अगर आपका इरादा भी बीजेपी को हराना है तो आईए हम साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर लड़ते हैं. इम्तियाज भाई ने उनको लेटर भी दिया है.

गेंद अब उनके पाले में है-वारिस पठान

उन्होंने आगे कहा, ''हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और गेंद अब उनके पाले में है. उनका फर्ज बनता है कि वो आएं और चर्चा करें. चर्चा तो होनी चाहिए न. संविधान ने जितना अधिकार कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी को दिया है, उतना ही अधिकार एआईएमआईएम को भी है. हम तो पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंशा अल्लाह हमको उम्मीद है कि लोग बहुमत से नवाजेंगे.

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है. हालांकि अभी तक सीट बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत नहीं बनी है. बता दें महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. हालांकि अभी तक चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा नहीं की गई है. कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र दौरे पर थी. जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की उम्मीद है.

भायंदर/ शुरू हुआ कत्लखाने का विरोध

भायंदर : भायंदर (पश्चिम) स्थित उत्तन में मनपा द्वारा 40 करोड़ की लागत से कत्लखाना बनाने की निविदा निकाली गयी है। इस कत्लखाने का पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने विरोध किया है और इसमे वर्तमान विधायिका गीता जैन पर भी समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नरेंद्र मेहता ने कहा की अगर इस कत्लखाने के प्रस्ताव को रद्द नहीं किया गया तो वह मंगलवार को इसके विरोध में मोर्चा निकालेगे। नरेंद्र मेहता ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहां की इस शहर मे इतने बड़े पैमाने पर बनने वाले कत्लखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 40 करोड़ का टेंडर निकाल कर सिर्फ 6 दिन का वक्त देकर मनपा इस मामले को तुरंत निपटाना चाहती है। इस मामले में उन्होने विधायिका गीता जैन पर आरोप लगाते हुए कहा की शहर में 40 करोड़ का टेंडर निकलता है और विधायिका को अगर इसकी जानकारी ना हो तो उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।

'लड़की बहिन' जैसी योजनाओं को लेकर झूठी जानकारी फैला रहा है

मुंबई : महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह 'लड़की बहिन' जैसी योजनाओं को लेकर झूठी जानकारी फैला रहा है. सीएम शिंदे ने कहा कि वे हमारी योजनाओं के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए लेकिन फैसला हमारे पक्ष में आया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने नागपुर कोर्ट में भी याचिका डाली थी.

छत्रपति सांभाजीनगर में 'माझी लड़की बहिन योजना' को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ''विपक्ष केवल लड़की बहिन जैसी हमारी योजनाओं को लेकर गलत जानकारी फैला रहा है. हम आपके खाते में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और विपक्ष हमारी योजनाओं के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट भी गया लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और आदेश हमारे पक्ष में आया. विपक्ष ने खिचड़ी स्कैम और अन्य स्कैम के जरिए भ्रष्टाचार किया है.''

दरअसल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस योजना के खिलाफ याचिका जनहित दाखिल की थी. जिस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये कल्याकारी योजनाएं उन लोगों के लिए जरूरी हैं जो वंचित हैं. संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत राज्यों को अधिकार है कि वे उनके लिए लाभकारी योजनाएं बना सकते हैं.

सिंतबर में देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा आरोप लगाया था कि नागपुर के एक सोशल एक्टिविस्ट अनिल वडपल्लीवार ने लड़की बहिन योजना को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है. जिनका कांग्रेस से गहरा संबंध है. फडणवीस ने दावा किया था कि वडपल्लीवार ने नाना पटोले, सुनील केदार, नागपुर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे और नागपुर के पूर्व सांसद विलास मुत्तेमवार के चुनावी एजेंट के रूप में काम किया था.

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com